कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

संख्या– 243/प्रवर्तन/दो–48/2013 दिनांक 27 जुलाई, 2013

राज्य सरकार के अधीनस्थ सरकारी विभागों में बाह्य स्रोतों से वाहन उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं के पंजीकरण के लिए आवदेन पत्र आमंत्रण सूचना

शासनादेश संख्या–65/ix-1/2013/215/2011 दिनांक 17–01–2013 के क्रम में राज्य के अतिविशिष्ट, विशिष्ट महानुभावों एवं राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में बाह्य स्रोतों से वाहनों की आपूर्ति किये जाने हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं का पंजीकरण सम्बन्धित जनपद/क्षेत्र के संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय में किया जाना प्रस्तावित है। अतः ऐसे इच्छुक आपूर्तिकर्ता जो विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत वाहन उपलब्ध कराने में सहमत है, से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 17–08–2013 है। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं शर्तें तथा अन्य विवरण परिवहन विभाग की वैबसाईट transport.uk.gov.in से डाउनलोड किये जा सकते हैं अथवा जनपद में स्थापित संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

(डॉ0 उमाकान्त पवार)
परिवहन आयुक्त।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

राज्य सरकार के अधीनस्थ सरकारी विभागों में बाह्य स्रोतों से वाहन उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं के पंजीकरण के लिए आवदेन पत्र

आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 17–08–2013 अपरान्ह 2.00 बजे तक

आवेदनकर्ता द्वारा भरा जायेगा

1– (अ) आवेदक का नाम ....

(कृपया आवेदक का आईडी यथा–चालक लाईसेन्स, पासपोर्ट, वोटर आईडी, निवास प्रमाणप आदि संलग्न किया जाए)

(ब) पता ....

....

....

(स) दूरभाष नम्बर ....

(द) फैक्स नम्बर ....

2– सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नम्बर (यदि कोई हो) ....

3– आयकर पैन नम्बर..

4– गतवर्ष में किये गये कार्यो का विवरण (यदि कोई हो) (कृपया प्रतियॉ संलग्न की जाएं) (वैकल्पिक)

(अ) क्लाइन्ट्स का नाम एवं पता...(संलग्न करें)..

5– आवेदक की विधिक स्थिति (व्यक्तिगत / पार्टनरशिप)...

6– आवेदक के स्वामित्वाधीन मोटर कैब / मैक्सी कैब वाहनों की संख्या...................................

(कृपया वाहन का मेक, मॉडल आदि का पूर्ण विवरण प्रारूप–1 पर संलग्न किया जाए)

7– पंजीकरण हेतु आवेदित वाहनों की संख्या...

(कृपया वाहन का मेक, मॉडल आदि का पूर्ण विवरण प्रारूप–2 पर संलग्न किया जाए)

8– प्रतिभूति की धनराशि रूपये–.......................(शब्दों में ....)

बैक ड्राफ्ट संख्या.. दिनांक..

बैंक का नाम...

घोषणापत्र

मैं सशपथ घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड की विज्ञप्ति संख्या–243/प्रवर्तन/दो–48/2013 दिनांक 27–07–2013 के अन्तर्गत ''आवेदनकर्ताओं हेतु आवश्यक निर्देश'' एवं ''सामान्य नियम एवं शर्तें'' में विहीत समस्त शर्तों एवं दरों का अवलोकन कर लिया गया है और उन्हें भली प्रकार समझ लिया गया है। मैं परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों पर तथा विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम दर अथवा उससे कम दर पर अपनी वाहन दैनिक/मासिक आधार पर देने के लिए सहमत हूँ।

हस्ताक्षर आवेदन कर्ता

नाम...

प्रारूप–1

(आवेदक के स्वामित्वाधीन मोटर कैब/मैक्सी कैब वाहनों की संख्या)

क्रम संख्या	**वाहन संख्या**	**वाहन का मेक**	**मॉडल**	**पंजीयन की तिथि**	**सीट क्षमता**	**ईंधन का प्रकार**	**एसी/ नॉन एसी**

प्रारूप–2

(पंजीकरण हेतु आवेदित वाहनों की संख्या)

क्रम संख्या	**वाहन संख्या**	**वाहन का मेक**	**मॉडल**	**पंजीयन की तिथि**	**सीट क्षमता**	**ईंधन का प्रकार**	**एसी/ नॉन एसी**

आवेदनकर्ताओं हेतु आवश्यक निर्देश

1— उद्देश्य एवं कारण

प्रस्तुत आवेदन पत्र आमंत्रित करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में वाहन संचालन के क्षेत्र में कार्यरत सभी परिवहन व्यवसायियों को राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में समान दर पर वाहन उपलब्ध कराने के समान अवसर प्रदान करना है। अतः उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य के अतिविशिष्ट, विशिष्ट महानुभावों एवं राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में बाह्य स्रोतों से वाहनों की आपूर्ति किये जाने के इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं के परिवहन विभाग में पंजीकरण हेतु आवेदन/प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

2— आवेदन प्रपत्र एवं मूल्य

आवेदन प्रपत्र सामान्य नियम एवं शर्ते व अन्य विवरण राज्य सरकार की वेबसाइट (transport.uk.gov.in) में उपलब्ध कराये गये है। इच्छुक प्रतिभागी द्वारा आवेदन पत्र उक्त वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है अथवा जनपद में स्थापित संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

3— पात्र आवेदक

3.1 पात्र आवेदक से आशय ऐसे व्यक्ति/फर्म/कम्पनी से है जो इस प्रपत्र में दी गई सभी शर्तों को पूर्ण करता है। आवेदक को अपनी पात्रता के सम्बन्ध में आवश्यक अभिलेख, जो आवेदन में उसके द्वारा दिए गए कथनों की पुष्टि करते हैं, संलग्न करना अनिवार्य है। भागीदारी फर्म/कम्पनी की दशा में प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को पॉवर ऑफ अटार्नी भी संलग्न करना अनिवार्य है।

3.2 आवेदन पत्र जमा करने के उपरान्त किसी भी समय फर्म/आवेदक की संरचना (composition) में परिवर्तन बिना परिवहन आयुक्त की लिखित अनुमति के नहीं किया जाएगा।

4— आवेदक का उत्तरदायित्व

4.1 आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस प्रपत्र का भलिभॉति अध्ययन कर ले और यह सुनिश्चित कर ले कि वह आवेदन की सभी शर्तों/आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। किसी समय आवेदन की शर्तों/आवश्यकताओं की पूर्ति में विफल रहने का जोखिम आवेदक का होगा।

4.2 आवेदन पत्र में दिए गए विवरण विभाग द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार किए गए हैं और इस प्रपत्र में दी गई सूचनायें आवेदक को प्रस्ताव तैयार करने में सहायक होंगी परन्तु आवेदक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आवेदन करने से पूर्व उनका सत्यापन अपने स्तर से अवश्य कर ले। परिवहन विभाग अथवा उसके प्रतिनिधि कोई त्रुटि न होने की गारन्टी नहीं देता है।

5— आवेदन पत्र तैयार किया जाना

5.1 आवेदक द्वारा अपना प्रस्ताव इस आवेदन प्रपत्र में दिए गए प्रारूप के अनुसार ही तैयार करना है। परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड अथवा उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत कोई अधिकारी, ऐसे प्रस्तावों, जो निर्धारित प्रारूप में नहीं हैं, को निरस्त कर सकते हैं।

5.2 आवेदक द्वारा यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा सभी स्थानों पर, जहॉ अपेक्षित हैं, हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। अहस्ताक्षरित/अपठनीय आवेदनों को अयोग्य मानते हुए निरस्त करने का अधिकार परिवहन आयुक्त अथवा उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत कोई अधिकारी उत्तराखण्ड को होगा।

5.3 आवेदक द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा सभी अपेक्षित संलग्नक/प्रमाणित प्रतियां संलग्न कर दी गई है।

5.4 उपरोक्त तैयार आवेदनों को मुहरबन्द लिफाफे में रखा जाएगा और उस पर स्पष्ट रूप से निम्नवत् विवरण अंकित होना चाहिए:—

''राज्य के अतिविशिष्ट, विशिष्ट महानुभावों एवं राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में बाह्य स्रोतों से वाहनों की आपूर्ति किये जाने के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र''

उपरोक्त के अतिरिक्त लिफाफे पर आवेदक का नाम, पता एवं सम्पर्क दूरभाष नम्बर भी स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।

5.5 पूर्ण रूप से भरी हुई आवेदन सम्बन्धित जनपद/क्षेत्र के संभागीय/सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी को निम्नलिखित पते पर प्रेषित की जाएंगी:-

क्रम संख्या	उपसंभाग का नाम	अधिकारी का पद नाम	दूरभाष संख्या
1	देहरादून	संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून।	0135 2743432
2	पौडी	संभागीय परिवहन अधिकारी, पौडी	01368 223003
3	हल्द्वानी (नैनीताल)	संभागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी	05946 260207
4	अल्मोड़ा	संभागीय परिवहन अधिकारी, अल्मोड़ा	05962 254009
5	हरिद्वार	सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी, (प्रशासन) हरिद्वार	01334 239768
6	ऋषिकेश	सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश	0135 2430623
7	टिहरी	सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी, टिहरी	01376 233623
8	उत्तरकाशी	सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी	01374 221174
9	कोटद्वार	सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार	01382 229814
10	कणप्रयाग (चमोली)	सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी, कर्णप्रयाग	01363 244397
11	रूद्रप्रयाग	सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग	01364 233914
12	उधमसिंहनगर	सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी, (प्रशासन) उधमसिंहनगर	05944 247620
13	टनकपुर (चम्पावत)	सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर	05963 266498
14	पिथौरागढ	सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी, पिथौरागढ	05963220099
15	बागेश्वर	सहा0 संभागीय परिवहन अधिकारी, बागेश्वर	05964 228222

5.6 आवेदन प्रतिभूति संलग्न न होने की दशा में आवेदन प्रपत्र स्वीकृत नही किया जाएगा। किसी प्रकार की छूट (Exemption) सम्बन्धी प्रार्थनापत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5.7 दरें सभी करों/सर्विस टैक्स सहित है।

6– आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि

6.1 पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन दिनांक 17–08–2013 तक सम्बन्धित संभागीय/सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त होना आवश्यक है। फैक्स अथवा ई–मेल आदि के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6.2 डाक में आवेदन के गुम हो जाने अथवा विलम्ब से प्राप्त होने का उत्तरदायित्व परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड का नहीं होगा और विलम्ब से प्राप्त आवेदनों को बिना खोले आवेदक को लौटा दिया जाएगा।

6.3 परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड किसी भी समय आवेदन प्रक्रिया की तिथियों में परिवर्तन कर सकते हैं।

7– जमा करायी गई आवेदन में संशोधन अथवा वापस लिया जाना

7.1 आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि से पूर्व किसी समय यदि कोई आवेदक जमा किये गये आवेदन में संशोधन करना चाहता है तो वह इस आशय का लिखित आवेदन कर संशोधन कर सकता है परन्तु ऐसी स्थिति में उसे लिफाफे पर ''संशोधित आवेदन'' स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा।

7.2 परन्तु यह कि आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि के उपरान्त आवेदन में कोई परिवर्तन/संशोधन ग्राह्य नहीं होगा।

8– गोपनीयता

आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवेदनों के मूल्यांकन, स्पष्टीकरण अथवा संस्तुतियों के सम्बन्ध में कोई जानकारी किसी भी व्यक्ति, जो अधिकृत रूप से इस प्रक्रिया से सम्बन्धित नहीं है, को नहीं दी जाएगी।

9— अन्य प्रमाण पत्र, जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाएं

9.1 इस आशय का नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि आवेदक का नाम, शासन, राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग अथवा निगम और परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड की काली सूची में अंकित नही है।

9.2 इस आशय का नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि आवेदक या उसके पार्टनर या कम्पनी के विरूद्व किसी प्रकार का पुलिस/विजीलेन्स जॉच विचाराधीन नहीं है और न ही उन्हें किसी सक्षम मा0 न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए कभी दण्डित किया गया है।

9.3 आवेदक सर्विस टैक्स विभाग में पंजीकृत है अथवा नहीं, का प्रमाणपत्र भी संलग्न किया जाए।

9.4 आवेदन में अपेक्षित विगत वर्षो में किये गये कार्यों सम्बन्धी अनुभव प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति।

9.5 इस आशय का घोषणापत्र कि आवेदक आवेदन पत्र में उल्लिखित संख्या में वाहनें उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।

10— पंजीकरण की अवधि

उक्त पंजीकरण की अवधि पंजीकरण के दिनांक से एक वर्ष होगी।

11— पंजीकरण अवधि के मध्य दरों में संशोधन

उपरोक्त दरें एक वर्ष की अवधि के लिये वैध हैं। पंजीकरण की अवधि में दरों में कोई संशोधन अथवा परिवर्तन किसी भी पक्ष द्वारा नहीं किया जाएगा।

12— कार्यप्रभारित प्रतिभूति

आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ रूपये 10,000.00 प्रति वाहन की दर से कार्यप्रभारित प्रतिभूति के रूप में जमा करायी जाएगी। इस हेतु अपेक्षित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट, जो परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के नाम से हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाएगा। उक्त धनराशि पंजीकरण की सम्पूर्ण अवधि हेतु धरोहर के रूप में परिवहन आयुक्त कार्यालय/सम्बन्धित संभागीय/सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय में जमा रहेगी, तथा कार्य के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरान्त लौटा दी जाएगी।

13– आवेदकों का पंजीकरण

ऐसे आवेदक, जो अधिकतम निर्धारित दरों अथवा उससे कम पर तथा निर्धारित शर्तों पर अपनी वाहनों की आपूर्ति करने पर सहमत होंगें, उनका पंजीकरण परिवहन विभाग द्वारा किया जाएगा। उक्त पंजीकरण के उपरान्त राज्य सरकार के अधीन किसी भी राजकीय विभाग द्वारा वाहन सीधे किराये पर ली जा सकेगी। इच्छुक आवेदकों द्वारा पंजीकरण निम्नलिखित दो प्रकार से किये जाने हेतु आवेदन किया जा सकता है:–

अल्पकालीन	दैनिक आधार पर वाहन किराये पर लिये जाने हेतु
दीर्घकालीन	मासिक आधार पर वाहन किराये पर लिये जाने हेतु

14– आवेदनों का मूल्यांकन

14.1 प्रस्तर 5 के अनुसार तैयार आवेदनों को इस हेतु गठित समिति एवं इच्छुक आवेदकों की उपस्थित में खोला जाएगा।

14.2 आवेदनों के मूल्यांकन के दौरान सभी शर्तों को पूर्ण करने वाले एवं इस प्रपत्र में दी गयी शर्तो से सहमत होने वाले आवेदकों को सफल घोषित किया जाएगा।

14.3 आवेदन स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार समिति के पास सुरक्षित है, आवेदन स्वीकृत करने हेतु दरों, आपूर्ति की गुणवत्ता तथा फर्म के प्रोफाईल एवं पुरानी परफारमैन्स को ध्यान में रख कर निर्णय लिया जाएगा।

15– नियम

आवेदक द्वारा कार्य के सम्बन्ध में विभिन्न अधिनियमों/नियमों यथा–श्रम अधिनियम, न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम, पीएफ, ईएसआई, मोटरयान अधिनियम आदि में विहीत व्यवस्थाओं/नियमों/औपचारिकताओं का अनुपालन किया जाएगा। (जहॉ लागू हों)

16– कर एवं अन्य देयकों का भुगतान

16.1 सभी प्रकार के टोल टैक्स, प्रवेश कर, पार्किंग चार्ज आदि का भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाएगा और उसकी प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा की जाएगी।

16.2 अन्य राज्यों में वाहन के आवागमन की स्थिति में अन्य प्रदेशों के कर आदि का भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाएगा और उसकी प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा की जाएगी।

सामान्य नियम एवं शर्ते

योजना के सामान्य नियम एवं शर्ते निम्नवत् हैः–

1– इच्छुक आवेदक के पास निम्नलिखित निर्माता (make & model) की कम से कम 01 वाहन (स्वयं के नाम से पंजीकृत) होना आवश्यक हैः–

(1) टोयोटा इनोवा
(2) स्कोडा लौरा
(3) होन्डा सिटी
(4) महिन्द्रा एक्सयूवी 500
(5) मारूति एसएक्स 4
(6) स्विफ्ट डिजायर
(7) टाटा इन्डिगो
(8) टाटा मान्जा
(9) महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा बोलेरो
(10) मारूति अर्टिगा
(11) टाटा इन्डिका

2– सफल आवेदक/आपूर्तिकर्ता द्वारा करार के दौरान कोई भी वाहन, जो 03 वर्ष (1095 दिन) से अधिक पुरानी वाहन की आपूर्ति नहीं की जाएगी।

3– आपूर्ति की जाने वाली वाहन उचित गुणवत्ता (Excellant Condition) वाली होनी चाहिए। वाहन की आन्तरिक साज–सज्जा यथा–सीट कवर, तौलिया, पढ़ने के लिए बिजली, फुटमैट आदि, उत्कृष्ट क्वालिटी की होना आवश्यक है।

4– वाहन के टायर, बैट्री, हैडलाईट बीम, ब्रेक, इन्डिकेटर, वाईपर, शीशा, दरवाजे एवं अन्य समस्त एसेसरीज उचित एवं उत्कृष्ट गुणवत्ता के होने चाहिए।

5– वाहन नियमानुसार संभागीय/उप संभागीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत होनी चाहिए तथा करार की अवधि में वाहन के समस्त प्रपत्र यथा–पंजीयन, परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि वैध होने चाहिए। पंजीयन शुल्क, परमिट शुल्क, फिटनेस शुल्क, मोटर वाहन कर, बीमा, चालक/स्टाफ की वर्दी (सफेद सफारी सूट, पी कैप) चालक

लाईसेन्स आदि पर व्यय सभी प्रकार के सम्बन्धित व्यय आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किये जाएंगें।

6— आपूर्ति की जाने वाली वाहन मोटरयान अधिनियम 1988 के अन्तर्गत ऑल इण्डिया परमिट से आच्छादित होनी चाहिए। किसी भी निजी वाहन (Non-transport Vehicle) की आपूर्ति नहीं की जाएगी।

7— वाहन पर तैनात किए जाने वाला चालक वैध व्यवसायिक लाईसेन्स धारक होना चाहिए तथा चालक का ड्यूटी के दौरान नियमानुसार वर्दी में होना आवश्यक है। वाहन का चालक वाहन चलाने की दृष्टि से हृष्ट–पुष्ट (Medically Fit) एवं पर्याप्त अनुभवी और वाहन चलाने में दक्ष होना चाहिए। चालक का आचरण मृदुभाषी, अनुशासित होना अपरिहार्य है।

8— आपूर्तिकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे चालक, जो नशे के सेवन का आदी हो, को वाहन पर सेवायोजित नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार ऐसे चालक, जो नशे का सेवन कर वाहन चलाने अथवा खतरनाक ढंग से वाहन चलाने अथवा किसी पुलिस वाद आदि में दोषी पाया गया हो, को भी वाहन में सेवायोजित नहीं किया जाएगा। सम्बन्धित विभाग द्वारा किसी चालक के सम्बन्ध में पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र की अपेक्षा की जा सकती है।

9— परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड अथवा सम्बन्धित पंजीयनकर्ता प्राधिकारी अथवा सम्बन्धित विभाग के अधिकारी, जिनके द्वारा वाहन किराये पर लिया गया है, द्वारा वाहन के किसी ऐसे चालक, जो अपने कर्तव्यों का पालन उचित ढंग से करने में असमर्थ है अथवा उसका आचरण एवं कार्य संतोषजनक नहीं है, को हटाने हेतु आपूर्तिकर्ता को निर्देशित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आपूर्तिकर्ता को तत्काल दूसरे चालक/स्टाफ की व्यवस्था करनी होगी।

10— सम्बन्धित विभाग मार्ग में होने वाली किसी प्रकार की क्षति अथवा अप्रत्याशित घटना/दुर्घटना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। मार्ग में दुर्घटना की स्थिति में किसी प्रकार के चिकित्सा बीमा, मुआवजा एवं अन्य विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाएगा।

11– आपूर्तिकर्ता का यह दायित्व होगा कि चालक के पास पर्याप्त धनराशि (Imprest cash) उपलब्ध हो ताकि यात्रा के दौरान ईंधन, मरम्मत अथवा वाहन सम्बन्धित अन्य व्यय किया जा सके।

12– मार्ग/यात्रा के दौरान वाहन में किसी प्रकार की खराबी (Breakdown) होने पर आपूर्तिकर्ता को तत्काल अन्य वाहन की व्यवस्था अपने व्यय पर करनी होगी। यदि किसी समय आपूर्तिकर्ता वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने में असफल रहता है तो सम्बन्धित विभाग आपूर्तिकर्ता के व्यय पर वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने के लिए अधिकृत होगा।

13– आपूर्तिकर्ता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विशिष्ट अतिथियों के निवास/कार्यालय/कॉलोनी से सम्बन्धित उत्तराखण्ड सरकार के सुरक्षा मानकों का अनुपालन किया जाएगा।

14– आपूर्तिकर्ता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सम्बन्धित अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि से सम्पर्क रखा जाएगा तथा ड्यूटी के समयबद्ध संचालन हेतु उनके द्वारा दिए गए अनुदेशों का पालन किया जाएगा।

15– वाहन का प्रयोग राज्य के भीतर एवं बाहर कहीं भी किया जा सकता है।

16– आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी भी दशा में कार्य को पुर्नठेके (Sub-let) पर नहीं दिया जाएगा।

17– वाहन के लिए डीजल/ईंधन की आपूर्ति निम्न माईलेज के आधार पर की जाएगीः–

क्रम संख्या	वाहन का मॉडल	ईंधन की खपत किमी/ली
1	टोयोटा इनोवा वीएक्स	10
2	टोयोटा इनोवा	10
3	स्कोडा लौरा	18
4	होन्डा सिटी	15
5	महिन्द्रा एक्सयूवी 500	10
6	मारूति एसएक्स 4 पैट्रोल	10
7	मारूति एसएक्स 4 डीजल	12
8	स्विफ्ट डिजायर	15
9	टाटा इन्डिगो	15
10	टाटा मान्जा	15

11	मारूति अर्टिगा	15
12	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा बोलेरो	12
13	टाटा इन्डिका	18

18— वाहनों की आपूर्ति के लिए अधिकतम् आधार मूल्य निम्नवत् निर्धारित किया गया हैः—

क्रम संख्या	वाहन का मॉडल	अधिकतम मासिक दर रूपये में	अधिकतम दैनिक दर रूपये में
1	टोयोटा इनोवा वीएक्स	40000	1800
2	टोयोटा इनोवा	31000	1400
3	स्कोडा लौरा	41000	1900
4	होन्डा सिटी	27000	1200
5	महिन्द्रा एक्सयूवी 500	34000	1500
6	मारूति एसएक्स 4 पैट्रोल	24000	1100
7	मारूति एसएक्स 4 डीजल	28000	1300
8	स्विफ्ट डिजायर	23000	1100
9	टाटा इन्डिगो	22000	1000
10	टाटा मान्जा	23000	1100
11	मारूति अर्टिगा	25000	1100
12	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा बोलेरो	21000	1000
13	टाटा इन्डिका	18000	800

19— उपरोक्तानुसार ईंधन की आपूर्ति दैनिक/मासिक (जैसी भी स्थिति हो) लॉगबुक के आधार पर सम्बन्धित विभाग द्वारा की जाएगी। इस हेतु सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता को वाहन में नियमित रूप से लॉगबुक रखना आवश्यक होगा और उस पर दैनिक आधार पर वाहन संचालन की प्रविष्टि करते हुए उसे सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रमाणित कराना होगा।

20— अन्य जनपदों में वाहन के रात्रि विश्राम करने की स्थिति में रूपये 200.00 प्रति रात्रि की दर से रात्रि चार्जेज का भुगतान पृथक से किया जाएगा।

21— वाहन में लॉग बुक के अतिरिक्त एक शिकायत/सुझाव पुस्तिका भी रखना आवश्यक होगा।

22– वाहन में नियमानुसार स्टपनी, टूल किट, फर्स्ट एड बॉक्स, आग बुझाने का यंत्र (Fire extinguisher) भी आपूर्तिकर्ता द्वारा स्वयं के व्यय पर रखना आवश्यक है।

23– भुगतान की रीति

(1) कार्य की पूर्ति पर सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता को भुगतान सम्बन्धित विभाग द्वारा दैनिक/मासिक (जैसी भी स्थिति हो) आधार पर किया जाएगा।

(2) आयकर नियमों के अनुसार सम्बन्धित विभाग द्वारा भुगतान के समय आयकर की कटौती (टीडीएस) की जाएगी।

24– सेवा प्रदान करने में विलम्ब हेतु शास्ति/दर अनुबन्ध का निरस्तीकरण

निम्नलिखित अवसरों पर कार्यप्रभारित प्रतिभूति को जब्त करते हुए दर पंजीकरण को समाप्त कर दिया जाएगा–

(1) यदि आपूर्तिकर्ता समय पर वाहन उपलब्ध कराने में विफल रहता है।

(2) आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं संतोषजनक नहीं है।

हस्ताक्षर एवं मुहर

आवेदक